संख्या-562/2025/आई/1139727/23-1-25/001-23-1002(002)/299/2025

प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 11 नवम्बर, 2025**

विषय- वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं0-58 लेखाशीर्षक-3054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से बस्ती मण्डल के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों के कुल 31 विशेष मरम्मत के कार्यों हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के अधोलिखित तालिका के स्तम्भ-2 में अंकित पत्रों द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार **बस्ती मण्डल के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों के कुल 31 विशेष मरम्मत के कार्यों हेतु कुल लागत रू0 19,19,09,000/- (रूपये उन्नीस करोड़ उन्नीस लाख नौ हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ** चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं0-58 के **लेखाशीर्षक-3054** के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से कुल **रू0 6,71,66,000/- (रूपये छः करोड़ इकहत्तर लाख छियासठ हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	मुख्य अभियन्ता (मु0-1) का पत्रांक व दिनांक	जनपद खण्ड का नाम	यूनिक कोड	मार्ग का नाम	क्षतिग्रस्त लम्बाई	कार्य की लागत	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आई/316397/2025 आई/316397/2025, दिनांक 18.10.2025	नि.ख.(बांसी) सिद्धार्थनगर	540653	डी0डी0 रोड से जमौतिया मार्ग।	3.100	109.24	38.23
2	आई/316397/2025 आई/316397/2025, दिनांक 18.10.2025	नि.ख.(बांसी) सिद्धार्थनगर	540825	मिठवल बभनी घाट से सेहरी मार्ग	2.500	43.54	15.24

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0 सं0	मुख्य अभियन्ता (मु0-1) का पत्रांक व दिनांक	जनपद खण्ड का नाम	यूनिक कोड	मार्ग का नाम	क्षतिग्रस्त लम्बाई	कार्य की लागत	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
3	आई/316397/2025 आई/316397/2025, दिनांक 18.10.2025	नि.ख.(बांसी) सिद्धार्थनगर	540907	कलनाखोर कुड़जा पेड़ारी मार्ग।	0.800	51.02	17.86
4	आई/316397/2025 आई/316397/2025, दिनांक 18.10.2025	नि.ख.(बांसी) सिद्धार्थनगर	540911	बांसी धानी से परोई सम्पर्क मार्ग।	0.900	45.28	15.85
5	आई/320864/2025, दिनांक 28.10.2025	नि.ख.(बांसी) सिद्धार्थनगर	540794	बांसी डुमरियागंज से करौंदा नानकार मार्ग।	3.750	100.23	35.08
6	आई/320864/2025, दिनांक 28.10.2025	नि.ख.-1 सिद्धार्थनगर	547175	तुलसियापुर से बगही.रोइनिहवा.बढ़नी मार्ग (अन्य जिला मार्ग) के कि0मी0.7(700), 8(200) में विशेष मरम्मत के साथ नवीनीकरण तथा कि0मी0.7(150) में सी0सी0 मार्ग एवं नाली निर्माण कार्य।	1.050	43.03	15.06
7	आई/320864/2025, दिनांक 28.10.2025	प्रा.ख. सिद्धार्थनगर	540266	शोहरतगढ से मस्जिदिया सम्पर्क मार्ग	3.100	113.63	39.77
8	आई/318445/2025, दिनांक 24.10.2025	प्रा.ख. सिद्धार्थनगर	540371	नकाही से बैदौली सम्पर्क मार्ग	1.500	46.18	16.16
9	आई/318445/2025, दिनांक 24.10.2025	प्रा.ख. सिद्धार्थनगर	540488	सेमरा डोहरिया से भाद मुस्तहकम सम्पर्क मार्ग	2.030	61.96	21.69
10	आई/320864/2025, दिनांक 28.10.2025	प्रा.ख. सिद्धार्थनगर	540362	नौगढ महापाली से खुशराजपुर अन्तुआ सम्पर्क मार्ग	1.000	41.51	14.53
11	आई/320864/2025, दिनांक 28.10.2025	प्रा.ख. सिद्धार्थनगर	540218	मधुबेनिया गौरा रोशनजोट कोल्हुआ कम्हरिया गैरा बाजार मंझरिया अगया कला अगया खुर्द वाया कोइरीडिहवा जीतपुर मार्ग	2.100	46.94	16.43
12	आई/320864/2025, दिनांक 28.10.2025	प्रा.ख. सिद्धार्थनगर	540408	थरौली पक्की सडक से लोधपुरवा होते हुए गोबरहवा रेलवे क्रासिंग तक मार्ग	0.910	47.28	16.55
13	आई/318445/2025, दिनांक 24.10.2025	प्रा.ख. सिद्धार्थनगर	547221	सेमरा मदरहना मार्ग पर कूड़ा नहीं पर पहुॅच मार्ग	1.850	40.57	14.20

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0 सं0	मुख्य अभियन्ता (मु0-1) का पत्रांक व दिनांक	जनपद खण्ड का नाम	यूनिक कोड	मार्ग का नाम	क्षतिग्रस्त लम्बाई	कार्य की लागत	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
				का विशेष मरम्मत का कार्य।			
14	आई/318445/2025, दिनांक 24.10.2025	प्रा.ख. सिद्धार्थनगर	547240	ककरहवा बाजार से फाजिलपुर सम्पर्क मार्ग का विशेष मरम्म्त का कार्य।	1.700	54.34	19.02
15	I/320851/2025 dt 28.10.25	नि.ख.-1 सिद्धार्थनगर	547173	कोहड़ौरा से सोहना.चिताही मार्ग के कि0मी0.2 एवं 7 में क्षतिग्रस्त पुलिया के स्थान पर 2 गुणे 2 मी0 स्पान के 02 नग आर0सी0सी0 बाक्स कलवर्ट का निर्माण कार्य।	15.500	55.86	19.55
16	आई/316397/2025 आई/316397/2025, दिनांक 18.10.2025	प्रा.ख. बस्ती	556475	एन0एच0- 28 तिलकपुर कटरी मार्ग से दूबौली दूबे होते हुए टिनिच तक मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य।।	5.000	65.21	22.82
17	आई/316397/2025 आई/316397/2025, दिनांक 18.10.2025	प्रा.ख. बस्ती	550811	महराजगंज बेलघाट से कोदई	2.000	43.20	15.12
18	आई/316397/2025 आई/316397/2025, दिनांक 18.10.2025	प्रा.ख. बस्ती	555006	हरैया बभनान परसा मार्ग सलहदीपुर से करनपुर होते हुए सरैया मिश्र मार्ग के किमी0 1,2	3.450	83.85	29.35
19	आई/316397/2025 आई/316397/2025, दिनांक 18.10.2025	प्रा.ख. बस्ती	550708	एल0डी0 कनैला सोनियाघाट होते हुए मसहा पाण्डेय पुरवा मार्ग	2.500	63.86	22.35
20	आई/316397/2025 आई/316397/2025, दिनांक 18.10.2025	प्रा.ख. बस्ती	556711	अक्सड़ा बहादुरपुर पिच मार्ग से इटैलिया वाया मटेरा मार्ग	2.700	48.09	16.83
21	आई/316397/2025 आई/316397/2025, दिनांक 18.10.2025	प्रा.ख. बस्ती	556523	एल0डी0 चरकैला गोसैसीपुर वाया गंगापुर महुआपार कला मार्ग	4.300	110.43	38.65
22	आई/318445/2025, दिनांक 24.10.2025	प्रा.ख. बस्ती	550441	एल0डी0 कैथोलिया लाला मार्ग	5.500	102.55	35.89
23	आई/318445/2025, दिनांक 24.10.2025	नि.ख.-1 बस्ती	551394	मुण्डेरवा लालगंज से मेहड़ा बाया भैंसा मार्ग	2.500	47.90	16.76

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र0 सं0	मुख्य अभियन्ता (मु0-1) का पत्रांक व दिनांक	जनपद खण्ड का नाम	यूनिक कोड	मार्ग का नाम	क्षतिग्रस्त लम्बाई	कार्य की लागत	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
24	आई/318445/2025, दिनांक 24.10.2025	नि.ख.-1 बस्ती	550776	दरियापुर से आदमपुर मार्ग	3.350	62.19	21.76
25	आई/318445/2025, दिनांक 24.10.2025	नि.ख.-1 बस्ती	551870	हनुमानगंज से कोहरा तेलौरा मार्ग	3.000	40.03	14.01
26	आई/318445/2025, दिनांक 24.10.2025	नि.ख.-1 बस्ती	550764	रूधौली डुमरियागंज मार्ग से गंधरिया होते हुए आमी नदी तट तक मार्ग	3.700	61.85	21.64
27	आई/318445/2025, दिनांक 24.10.2025	नि.ख.-1 बस्ती	551769	जोगिया से पकरी मार्ग	1.500	41.83	14.64
28	आई/318445/2025, दिनांक 24.10.2025	नि.ख.-1 बस्ती	551959	बस्ती महसों महुली मार्ग के किमी0 3 से खौरहवा से लौकिहवां मार्ग	1.480	81.53	28.54
29	आई/318445/2025, दिनांक 24.10.2025	नि.ख.-1 बस्ती	552104	सोनूपार रामपुर देवरिया से आमचादी मार्ग	2.600	64	22.40
30	आई/318445/2025, दिनांक 24.10.2025	नि.ख.-1 बस्ती	551965	महसों देवरिया सम्पर्क मार्ग से सिकराहकीम सम्पर्क मार्ग	2.600	54.83	19.19
31	आई/318445/2025, दिनांक 24.10.2025	प्रा.ख. बस्ती	556334	बैदोलिया लाला पिच रोड से सुखरामपुरवा होते हुए पबेरवा मार्ग निर्माण कार्य।	3.000	47.13	16.49
					कुल योग-	**1919.09**	**671.66**

(1) प्रश्नगत कार्यों की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है। यदि द्विरावृत्ति पायी जाय तो उस स्वीकृति को निरस्त करते हुए संबंधित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित की जाय।

(2) प्रश्नगत कार्यों को उस समय तक प्रारम्भ न किया जाय और न ही उन पर कोई व्यय भार लिया जाय जब तक कि स्वीकृत लागत के अन्तर्गत विस्तृत आगणन गठित कर उस पर सक्षम अधिकारी द्वारा प्राविधिक स्वीकृति प्रदान न कर दी जाय। यदि यह कार्यवाही सुनिश्चित नहीं की जाती है तो समस्त उत्तरदायित्व संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/अधिशासी अभियंता का होगा।

(3) लेबर सेस की एक प्रतिशत धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(4) प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित की गयी है। विभाग का दायित्व होगा कि भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जी0एस0टी0 का भुगतान सुनिश्चित किया जाये। साथ ही विभाग का यह भी दायित्व होगा कि प्रायोजना के निर्माण कार्यो में वास्तविक खपत (CONSUMED) हुई मुख्य सामग्री (सीमेन्ट व स्टील, ग्रिट, बिटुमिन इत्यादि) की मात्राओं का अनुपातिक/मानक मिलान करते हुए जी0एस0टी0 भुगतान किया जाये।

(5) प्रश्नगत कार्यों प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जाय। यदि यह कार्यवाही सुनिश्चित नहीं की जाती है तो समस्त उत्तरदायित्व संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/अधिशासी अभियंता का होगा।

(6) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2026 तक कर लिया जाय। कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 30 अप्रैल 2026 तक शासन को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दिया जाय।

(7) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय, वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि तथा राज्य सड़क निधि नियमावली में किये गये प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाय तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में न किया जाय।

(8) राज्य सड़क निधि हेतु गठित उ0प्र0 राज्य सड़क निधि प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं/प्रयोजनों के लिये ही स्वीकृत/आवंटित धनराशि का उपयोग किया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन प्रयोजनों हेतु राज्य सड़क निधि से धनराशि स्वीकृत हुई है वह उसी प्रायोजन हेतु व्यय की गयी है। विभाग द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाय कि कार्य की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद कार्य की अव्यवहारिकता दर्शाते हुए स्वीकृति निरस्त न हो।

(9) प्रश्नगत कार्यों निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित कराये जाय ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित मानकों/विशिष्टियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो, उक्त परिवर्तन/विचलन शासन की पूर्वानुमति से ही किया जाय। प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि आगणन में किसी भी प्रकार की त्रुटि न होने पाये।

(10) विभाग द्वारा यथावश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स नियमानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(11) परियोजना की लागत व समय सीमा में बढोत्तरी न हो, इस हेतु परियोजना के निर्माण कार्य की साप्ताहिक समीक्षा सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता द्वारा एवं माह में कम से कम एक बार समीक्षा विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग के स्तर पर सुनिश्चित की जायेगी।

(12) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा प्रश्नगत कार्य से सम्बन्धित बचत (यदि हो तो) व कार्य पूर्णता इत्यादि की सूचना यथासमय शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

(13) परियोजना को निर्धारित समयसीमा के अन्दर अवश्य पूर्ण कर लिया जाये तथा टाइम ओवर रन एवं क्रास्ट ओवर रन इत्यादि के कारण प्रायोजना का पुनरीक्षण भविष्य में नहीं किया जायेगा।

(14) वित्त विभाग के शासनादेश सं0-10/2021/बी-2-96/दस-2021-10/99, दिनांक 22 मार्च, 2021 के अनुसार अनुमोदित प्रायोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त इसकी डी0पी0आर0 गठित करने के उपरान्त ही तकनीकी स्वीकृति निर्गत की जाय। यदि इस प्रक्रिया में यह परिलक्षित होता है कि प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष तकनीकी स्वीकृति की लागत 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो रही है, तो प्रायोजना का पुनरीक्षित आगणन गठन करते हुए 03 माह के भीतर पुनरीक्षित आगणन पर व्यय-वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त किया जाय, अन्यथा की स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना पर व्यय-वित्त समिति द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।

(15) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की वित्तीय स्वीकृति व प्रथम किश्त मूल्यांकित लागत पर जारी की जाये, किन्तु द्वितीय किश्त जारी करने से पूर्व परियोजना की लागत को निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनरीक्षित करा लिया जाये। परियोजना की अनुवर्ती किश्तें पुनरीक्षित लागत के आधार पर ही जारी की जायें ताकि कार्यदायी संस्था को कार्य की वास्तविक लागत से अधिक धनराशि अवमुक्त न हो सके। यदि निविदा के बाद कार्यों की लागत में कमी आती है, तो बचत की धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत राजकोष में जमा किया जाये।

(16) प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों को यथावत मानते हुए किया गया है। मार्ग निर्माण की लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन, संशोधन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि शासन स्तर से अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(17) परियोजना पूर्ण होने में विलम्ब की स्थिति उत्पन्न होने अथवा परियोजना की लागत में वृद्धि की दशा में इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग एवं मुख्य अभियन्ता (मु0-1) एवं सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

का होगा तथा भविष्य में यदि परियोजना की लागत में वृद्धि होती है तो ऐसी दशा में लागत में बढोत्तरी की कुल धनराशि की वसूली सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता आदि के वेतन से की जायेगी।

(18) परियोजना से सम्बन्धित समस्त तकनीकी पक्षों/तथ्यों व उनके परीक्षण/सत्यापन तथा इस परियोजना के निर्धारित मानकों के अनुरूप होने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग का होगा।

(19) जिन मार्गों के सृष्टि कोड अंकित नहीं है, उनके संबंध में प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि मार्ग लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व के हैं अथवा उनके लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व में न होने की दशा में संबंधित विभाग से अनापत्ति प्राप्त किये जाने के उपरान्त कार्यवाही की जाय।

(20) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-06/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(21) उपरिलिखित सभी शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित करने का दायित्व प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, मुख्य अभियन्ता (मु0-1) एवं सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता का होगा।

2- इस संबंध में होने वाला **6,71,66,000/- (रूपये छ: करोड़ इकहत्तर लाख छियासठ हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-58 **लेखाशीर्षक "3054**043370500 राज्य सड़क निधि से सड़कों का अनुरक्षण मानक मद 29 अनुरक्षण" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231 /2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
राजेश प्रताप सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-562/2025/आई/1139727(1)/23-1-25/001-23-1002(002)/299/2025, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश शासन।
2- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।

5- मुख्य अभियंता(मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।

6- मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।

7- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।

8- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

9- वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।

10- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

11- लोक निर्माण अनुभाग-10/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।

12- नोडल अधिकारी (आनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।

13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभिषेक गंगवार
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।